

SN 3097 Date 18.3.2014
Sri/Smt श्री सुभाषिणी
has identified by श्री सुभाषिणी
Advocate Solemnly affirmed (नियम 4क देखिए)
declared before me श्री सुभाषिणी

Bachchan Chaturvedi 18.3.14
Notary Meharaj (Meharaj)



निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) श्री सुभाषिणी (सदन का नाम) के लिए
निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग-क

मैं श्री सुभाषिणी **पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री सुभाषिणी

आयु 39 वर्ष, जो

ग्राम- चक्रिया पौडा नरपाना बुधु

जिला- केरल (डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:-

(1) मैं श्री सुभाषिणी (**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/ **एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा है।

(**जो लागू न हो उसे काट दे)

(2) मेरा नाम श्री सुभाषिणी (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं 231 के क्रम सं 335 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं. 09939015069 है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) श्री सुभाषिणी है।

(4) स्थाई लेखा संख्याक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रारिथति :

| क्रम सं. | नाम | पैन | वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है। | आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपए में) |
|----------|-----|-----|---|--|
| | | | | |


| | | | | |
|----|--------------|-----|-----|-----|
| 1. | स्वयं | १२५ | १२५ | १२५ |
| 2. | पति या पत्नी | १२५ | १२५ | १२५ |
| 3. | आश्रित-1 | १२५ | १२५ | १२५ |
| 4. | आश्रित-2 | १२५ | १२५ | १२५ |
| 5. | आश्रित-3 | १२५ | १२५ | १२५ |

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का /की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी :-

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं।

| | | |
|-----|---|-----|
| (क) | मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे | १२५ |
| (ख) | संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है | १२५ |
| (ग) | न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख | १२५ |
| (घ) | न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई | १२५ |
| (ङ) | तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे | १२५ |
| (च) | क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकੀ गई | १२५ |



| | |
|--------|-----|
| है/हैं | १२५ |
|--------|-----|

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है पूर्वोक्त

मदद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न):-

| | | |
|-----|--|-----|
| (क) | न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख | १२५ |
| (ख) | उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है | १२५ |
| (ग) | पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे | १२५ |

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43)की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है :

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है

| | | |
|-----|--|-----|
| (क) | उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है | १२५ |
| (ख) | न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें) | १२५ |



| | | |
|-----|---|-------|
| (ग) | अधिरोपित दंड | शून्य |
| (घ) | क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति | शून्य |

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 - यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 - रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

| क्रम सं. | विवरण | स्वयं | पति या पत्नी | आश्रित - 1 | आश्रित - 2 | आश्रित - 3 |
|----------|--|--------|--------------|------------|------------|------------|
| (i) | हाथ में नकदी | 100000 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| (ii) | बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम | 15,000 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| (iii) | कंपनियों/ पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |



| | | | | | |
|------------------------------|----|----|----|----|----|
| में विनिधान के ब्यौरे और रकम | ₹m | ₹m | ₹m | ₹m | ₹m |
|------------------------------|----|----|----|----|----|

| | | | | | | |
|--------|--|---------|----|----|----|----|
| (iv) | राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्ही वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम | 24000 | ₹m | ₹m | ₹m | ₹m |
| (v) | किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम | ₹m | ₹m | ₹m | ₹m | ₹m |
| (vi) | मोटरयान/वायुयान/याट/पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम) | ₹m | ₹m | ₹m | ₹m | ₹m |
| (vii) | जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे) | ₹m | ₹m | ₹m | ₹m | ₹m |
| (viii) | कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य | ₹m | ₹m | ₹m | ₹m | ₹m |
| (ix) | समग्र कुल मूल्य | 139,000 | ₹m | ₹m | ₹m | ₹m |

आ. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2- प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

| क्रम सं० | विवरण | स्वयं | पति या पत्नी | आश्रित-1 | आश्रित-2 | आश्रित-3 |
|----------|-------------------------------------|-------|--------------|----------|----------|----------|
| (i) | कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां) | 3 एकर | ₹m | ₹m | ₹m | ₹m |
| | सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ) | | | | | |
| | क्षेत्र (एकड़ में कुल माप) | 3 एकर | ₹m | ₹m | ₹m | ₹m |
| | क्या विरासत में आई संपत्ति | ₹m | ₹m | ₹m | ₹m | ₹m |



| | | | | | | |
|-------|--|-----------|-------|-------|-------|-------|
| | है (हां या नहीं) | हां | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | अनुमानित चालू बाजार मूल्य | 5400000 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| (ii) | गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ) | 3510 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप) | 3510 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख | 19.5.1986 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में) | 6000 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | अनुमानित चालू बाजार मूल्य | 750,000 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| (iii) | वणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | अनुमानित चालू बाजार मूल्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |



| | | | | | | |
|------|---|---------------------|----|----|----|----|
| (IV) | आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं) | 3डीई 455/1/1/1/1 | 2m | 2m | 2m | 2m |
| | क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप) | 390मेसकाम | 2m | 2m | 2m | 2m |
| | निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप) | | | | | |
| | क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं) | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m |
| | स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख | 19.5.1986 | 2m | 2m | 2m | 2m |
| | क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में) | 6000 | 2m | 2m | 2m | 2m |
| | विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m |
| | अनुमानित चालू बाजार मूल्य | 30,00,000 | 2m | 2m | 2m | 2m |
| (V) | अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित) | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m |
| (VI) | पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य | 31,50,000 | 2m | 2m | 2m | 2m |

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-

(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यक्ति के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)

| क्र० सं० | विवरण | स्वयं | पति या पत्नी | आश्रित -1 | आश्रित -2 | आश्रित -3 |
|----------|--|-----------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| (i) | बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति | KCC 200000 2011 62273350 | 2m | 2m | 2m | 2m |
| | पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m |
| | कोई अन्य दायित्व | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m |
| | दायित्वों का कुल योग | 200000 | | | | |

(Signature)



| | | | | | | |
|-------|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| (ii) | सरकारी शोध : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध | रुम | रुम | रुम | रुम | रुम |
| | जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध | रुम | रुम | रुम | रुम | रुम |
| | विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध | रुम | रुम | रुम | रुम | रुम |
| | टेलीफोन/मोबाईल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध | रुम | रुम | रुम | रुम | रुम |
| | सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध | रुम | रुम | रुम | रुम | रुम |
| | आय-कर शोध | रुम | रुम | रुम | रुम | रुम |
| | धनकर शोध | रुम | रुम | रुम | रुम | रुम |
| | सेवाकर शोध | रुम | रुम | रुम | रुम | रुम |
| | नगरपालिका/संपत्ति कर शोध | रुम | रुम | रुम | रुम | रुम |
| | विक्रयकर शोध | रुम | रुम | रुम | रुम | रुम |
| | कोई अन्य शोध | रुम | रुम | रुम | रुम | रुम |
| (iii) | सभी सरकारी शोधों का कुल योग | रुम | रुम | रुम | रुम | रुम |
| (iv) | क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें। | रुम | रुम | रुम | रुम | रुम |

(9) वृति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं..... रुम

(ख) पति या पत्नी..... रुम

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिये अनुसार है :-

रक्षा न अतिवा राजकीय कृत मध्य विद्यालय

जहाँ-नरु सुदा मिला रुम

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)




भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गये ब्यौरे का उद्धरण

| | | | | | | |
|---|---|---|---------------|----------|----------|----------|
| 1 | अभ्यर्थी का नाम | श्री/श्रीमती/कुं सुरेश राम | | | | |
| 2 | डाक का पता | ग्राम-पकिरा पोस्ट-पाना 861 जिला-कैमूर | | | | |
| 3 | निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य | 34 साहा (अ.पा.) वि.क. | | | | |
| 4 | उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें) | स्वतंत्र | | | | |
| 5 | (i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं। | शून्य | | | | |
| | (ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (उपर मद (i) उल्लिखित मामलों से मिन) | शून्य | | | | |
| 6 | ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए) | शून्य | | | | |
| 7 | का स्थायी लेखा सं० | वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है | कुल दक्षिण आय | | | |
| | (क) अभ्यर्थी | शून्य | शून्य | शून्य | | |
| | (ख) पति या पत्नी | शून्य | शून्य | शून्य | | |
| | (ग) आश्रित | शून्य | शून्य | शून्य | | |
| 8 | आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूपये में) | | | | | |
| | विवरण | स्वयं | पति या पत्नी | आश्रित-1 | आश्रित-2 | आश्रित-3 |
| क | जंगम आस्तियां (कुल मूल्य) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |



| | | | | | | |
|------|--|--------|----|----|----|----|
| ख | स्वावर आस्तियां | | | | | |
| i. | स्वअर्जित स्वावर संपत्ति की क्रय कीमत | ₹m | ₹m | ₹m | ₹m | ₹m |
| ii. | क्रय के पश्चात् स्वावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो) | ₹m | ₹m | ₹m | ₹m | ₹m |
| iii. | निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत | ₹m | ₹m | ₹m | ₹m | ₹m |
| | (क) स्वर्जित आस्तियां (कुल मूल्य) | ₹m | ₹m | ₹m | ₹m | ₹m |
| | (ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य) | ₹m | ₹m | ₹m | ₹m | ₹m |
| 9 | दायित्व | ₹m | ₹m | ₹m | ₹m | ₹m |
| (i) | सरकारी शोध्य (कुल) | ₹m | ₹m | ₹m | ₹m | ₹m |
| (ii) | बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल) | ₹m | ₹m | ₹m | ₹m | ₹m |
| 10 | ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है | | | | | |
| (i) | सरकारी शोध्य (कुल) | ₹m | ₹m | ₹m | ₹m | ₹m |
| (ii) | बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल) | 200000 | ₹m | ₹m | ₹m | ₹m |
| 11 | उच्चतम शैक्षिक अर्हता : | ₹m | | | | |



(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)

सत्यापन

मैं, उपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामलों से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है;

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 18/09/2014 को सत्यापित किया गया।

अभिसाक्षी

टिप्पण 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3:00 बजे अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थित "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण 4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण - 5 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जाँच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर

लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो 'शून्य' या 'लागू नहीं' या 'ज्ञात नहीं' जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण-6 शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

"मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्यायें है/हैं.....

मेरा ई-मेल आई०डी० (अगर कोई हो) है.....

एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है.....